

प्रश्नपत्र 8 : अप्रत्यक्ष कर कानून
(PAPER 8 : INDIRECT TAX LAWS)

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष छह प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

जहाँ पर आवश्यक हो, उपयुक्त मान्यता की जा सकती है तथा एक नोट के जरिये प्रकट करें।

कार्यकारी टिप्पणी क्रमशः प्रश्न का भाग होना चाहिए।

प्रश्न 1.

- (a) श्री रमेश बाबू ने कैप्टिव उपयोग के लिए वस्तु का निर्माण किया। उसने उन्हें उत्पादित करने के लिए निम्न व्यय किये :

क्रम संख्या	विवरण	₹ राशि
1.	कच्ची सामग्री तथा हिस्से की लागत (उत्पाद शुल्क सहित)	2,24,720
2.	गृह में जनशक्ति लागत (₹ 18,000 की प्रशासकीय वेतन) (उत्पादन से संबंधित नहीं)	48,000
3.	डिजाइन तथा अभियांत्रिकी प्रभार (सेवा कर सहित)	22,472
4.	जॉब वर्कर को हिस्से की परिवहन लागत	2,800
5.	जॉब वर्क प्रभार (जॉब वर्कर बीजक में ₹ 2,000 की उपभोग योग्य लागत तथा जॉब पर प्रभार सम्मिलित है तथा पृथक रूप से वसूल नहीं किया)	20,000
6.	जॉब वर्कर के द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार	
	- परिवहन प्रभार	2,800
	- लकड़ी का संदूक	1,200

श्री रमेश बाबू के द्वारा निर्धारण योग्य तथा भुगतान योग्य उत्पाद शुल्क का निर्धारण करें।

(5 अंक)

- (b) धर्मार्थ न्यास द्वारा भारत में धर्मार्थ वितरण के लिए 15,000 प्यालियों का आयात किया। न्यास ने न ही तो वस्तु की लागत का भुगतान किया तथा न ही डिजाइन तथा विकास प्रभार का भुगतान किया जिसका वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया। कस्टम अधिकारी ने *FOB* मूल्य की गणना US\$ 20,000 (डिजाइन तथा विकास प्रभार सहित की) जिसे न्यास द्वारा स्वीकृत कर दिया। प्राप्त अन्य विवरण अग्र हैं :

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	भुगतान भाड़ा (वायु) (USD में)	4,500
2.	अमेरिका में डिजाइन तथा विकास भार का भुगतान (USD में)	2,500
3.	भारत में एक एजेंट को भुगतान योग्य कमीशन (₹)	12,500
4.	CBEC द्वारा अधिसूचित विनिमय दर तथा मूल शुल्क की दर निम्न है :	
	प्रवेश की बिल की तिथि	मूल कस्टम विनिमय दर ₹
		इयूटी
	08.09.2015	20% 60
	बीजक एंट्री की तिथि	मूल कस्टम विनिमय दर ₹
		इयूटी
	30.09.2015	30% 62
	अन्तःबैंक दर 1 USD = ₹ 63	
5.	कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भुगतान योग्य अतिरिक्त शुल्क	12%
6.	कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अन्तर्गत भुगतान योग्य अतिरिक्त शुल्क	4%
7.	उपकर जैसा लागू	

पेपर 8: अप्रत्यक्ष कर कानून के लिए सुझाया उत्तर प्रावधान पर आधारित जैसा वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित किया तथा 30.04.2015 तक जारी अधिसूचना/परिपत्र पर आधारित है जो नवम्बर 2015 परीक्षा के लिए प्रासंगिक है।

कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत भुगतान योग्य कुल सीमा शुल्क की राशि तथा निर्धारण योग्य मूल्य की गणना करें। जहां आवश्यक है उपयुक्त मान्यता करें। कार्यकारी टिप्पणी आपके उत्तर का भाग होना चाहिए। (5 अंक)

- (c) OPQ Ltd. ने ₹ 14,60,680 के लिए प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का क्रय किया जो 12% का उत्पाद शुल्क जमा 2% शिक्षण उपकर जमा 1% माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर सहित है। उपकरण का क्रय 24.08.2012 को किया तथा 16.12.2014 की कीमत में ₹ 10,00,000 को पुरानी यंत्र के रूप में निपटारा किया। बिक्री की तिथि पर उत्पाद शुल्क दर 12% जमा 2% की दर से शिक्षण उपकर जमा 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर था।

आपको यंत्र की बिक्री पर भुगतान योग्य राशि की गणना करनी होगी

- (i) यदि यंत्र को विनिष्ट/स्क्रेप के रूप में हटाया।
(ii) यदि यंत्र को विनिष्ट तथा स्क्रेप के अन्यथा हटाया है।

OPQ Ltd. SSI विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है तथा प्रदूषण नियंत्रण यंत्र को 24.08.2012 को फेक्टरी में प्राप्त किया। यंत्र की बिक्री कीमत सौदा मूल्य जो उत्पाद शुल्क से अलग है क्या है? (5 अंक)

- (d) एक निवासी कल्याण संस्था (RWA) ने अक्टूबर 2014 के माह के लिए अपने 100 सदस्यों से निम्न राशि को एकत्रित किया। निम्न राशि की कर योग्यता अथवा अन्यथा कर निर्धारण करें तथा RWA द्वारा भुगतान योग्य सेवा कर की गणना करें।

विवरण	राशि (₹)
₹ 3,500 प्रत्येक का 20 निवासी से अंशदान	70,000
₹ 6,500 प्रत्येक का 80 निवासी से अंशदान	5,20,000
दिये गये बिल के अनुसार 20 निवासी के लिए निवासी का विद्युत बिल के भुगतान की तरफ संग्रहण	76,000
सामान्य उपयोग के लिए विद्युत उपयोग की तरफ RWA के नाम में जारी विद्युत बिल के संबंध में संग्रहण	48,000
RWA ने फैक्टरी जिसने मूल्य वस्तु पर 12.36% की दर से उत्पाद शुल्क का वहन किया से अनुरक्षण मद का क्रय किया।	50,000
सेवा प्रदानकर्ता ने अपने सेवा बिल के मूल्य पर पृथक रूप से सेवा कर को वसूल किया।	1,00,000

आपके उत्तर के लिए संक्षिप्त नोट तथा स्पष्टीकरण दें। (5 अंक)

उत्तर

- (a) केंद्रीय उत्पाद मूल्यांकन (उत्पाद योग्य वस्तु की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 (मूल्यांकन नियम) का नियम 8 प्रदान करता है कि जहां पर उत्पाद योग्य वस्तु का समस्त अथवा भाग को करनिर्धारी द्वारा बेचा नहीं परन्तु कैप्टिव उपयोग के लिए प्रयुक्त किया है, कैप्टिव उपयोग के लिए वस्तु का मूल्य इस प्रकार की वस्तु का उत्पादन अथवा निर्माण की लागत का 110% होगा।

CBEC परिपत्र संख्या 692/8/2003 CX दिनांक 13.02.2003 ने स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य के लिए उत्पादन की लागत का निर्धारण लागत लेखांकन मानक (CAS)-4: कैप्टिव उपयोग के लिए उत्पादन की लागत' के अनुसार किया जायेगा।

निर्धारण योग्य मूल्य तथा भुगतान योग्य उत्पाद शुल्क की गणना

विवरण	₹
कच्ची सामग्री तथा हिस्से की लागत [₹ 2,24,720 × 100/112.36]	2,00,000
गृह में मानव शक्ति लागत (उत्पादन से संबंधित) [₹ 48,000 – ₹ 18,000]	30,000
डिजाइन तथा अभियांत्रिकी प्रभार [₹ 22,472 × 100/112.36]	20,000
जॉब वर्कर को हिस्से की परिवहन लागत	2,800
जॉब वर्क प्रभार	20,000
जॉब वर्कर द्वारा लगाया अतिरिक्त प्रभार	
- परिवहन प्रभार	2,800
- लकड़ी के संदूक	<u>1,200</u>
उत्पादन की लागत	<u>2,76,800</u>
निर्धारण योग्य मूल्य [उत्पादन की लागत का 110%]	3,04,480
12.36% की दर से भुगतान योग्य उत्पाद शुल्क (राउंड ऑफ)	37,634
घटायें: सेनवैट क्रेडिट (उत्पाद शुल्क – ₹ 24,720 + सेवा कर – ₹ 2,472) ¹	<u>27,192</u>
नकद में भुगतान योग्य उत्पाद शुल्क	10,442

(b) उत्पाद योग्य मूल्य तथा उस पर भुगतान योग्य सीमा शुल्क की गणना

विवरण	राशि
सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गणना FOB मूल्य (डिजाइन तथा डेवलपमेंट प्रभार सहित)	20,000 US \$
विनिमय दर (नोट 1)	₹ 60 per \$
	₹
कस्टम अधिकारियों द्वारा गणना FOB मूल्य (₹ में)	12,00,000.00
जोड़ें भारत में एजेंट को भुगतान योग्य कमीशन	<u>12,500.00</u>
कस्टम के अनुसार FOB मूल्य	12,12,500.00
जोड़ें वायु भाड़ा (₹ 12,12,500 × 20%) [नोट 2]	2,42,500.00
जोड़ें बीमा (₹ 12,12,500 का 1.125%) [नोट 3]	<u>13,640.63</u>
कस्टम उद्देश्य के लिए CIF मूल्य	14,68,640.63

¹ यह माना गया है कि कच्ची सामग्री कर भुगतान उत्पाद शुल्क तथा डिजाइन तथा अभियांत्रिकी प्रभार पर भुगतान सेवा कर सेनवैट क्रेडिट के रूप में उपलब्ध है।

जोड़ें CIF मूल्य का 1% की दर से लेंडिंग प्रभार (नोट 4)	<u>14,686.41</u>
निर्धारण योग्य मूल्य	14 83,327.04
जोड़ें 30% की दर से मूल सीमा शुल्क (₹ 14, 83,327.04 का 30%) – राउंड ऑफ [नोट 5]	<u>4,44,998.00</u>
योग	19,28,325.04
कस्टम टैरिफ अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत लगने वाला अतिरिक्त शुल्क 12% की दर (₹ 19,28,325.04 × 12%) [राउंड ऑफ]	2,31,399.00
[CVD पर शिक्षण उपकर (EC) तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर विमुक्त हैं।	
शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर ₹ 6,76,397 (₹ 4,44,998 + ₹ 2,31,399) का 3% [राउंड ऑफ]	20,292
(विशेष CVD का मूल्य (₹ 4,83,327.04 + ₹ 4,44,998 + ₹ 2,31,399 + ₹ 20,292])	21,80,016.04
CTA की धारा 3(5) के अन्तर्गत लगने वाला अतिरिक्त शुल्क (₹ 21,80,016.04 × 4%) [राउंड ऑफ]	
[विशेष CVD पर EC तथा SHEC भुगतान योग्य नहीं है]	87,201
भुगतान योग्य कुल सीमा शुल्क	
(₹ 4,44,998 + ₹ 2,31,399 + ₹ 20,292 + ₹ 87,201)	7,83,890

नोट :

1. प्रवेश की बिल को फाइलिंग की तिथि पर CBEC के द्वारा अधिसूचित विनिमय की दर पर विचार करना होगा (कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 14 का तृतीय उपबंध)
2. वायु द्वारा आयातित वस्तु के मामले में, भाड़ा FOB मूल्य का 20% से अधिक नहीं हो सकता [कस्टम (आयातित वस्तु का मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 का नियम 10(2) का द्वितीय उपबंध]
3. बीमा प्रभार जब ज्ञात योग्य नहीं है तो वस्तु का FOB मूल्य का 1.125% की दर से सम्मिलित करना होगा। [कस्टम मूल्यांकन (आयातित वस्तु का मूल्य का निर्धारण) का नियम 10(2) नियम, 2007 का प्रथम उपबंध का वाक्य (iii)]
4. लेंडिंग प्रभार को वस्तु का CIF मूल्य का 1% की दर से सम्मिलित करना होगा [कस्टम (आयातित वस्तु का मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 के नियम 10(2) का प्रथम उपबंध का वाक्य (ii)]

5. प्रवेश की बिल की प्रस्तुतिकरण की तिथि अथवा जहाज की पहुंच की तिथि पर जो भी बाद में है प्रभाव में शुल्क की दर होगी। [कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 15 का प्रावधान]

नोट : शब्द "एंट्री इनवार्ड की तिथि को हवाईजहाज की पहुंच की तिथि माना जाये"।

(c)

यंत्र की बिक्री पर भुगतान योग्य राशि की गणना

विवरण		₹	₹
(i) यंत्र की बिक्री पर भुगतान योग्य राशि जब इसे विनिष्ट/स्क्रेप के रूप में क्लियर किया।			
सौदा मूल्य (निपटारा कीमत) पर लगने वाला शुल्क - (₹ 10,00,000 × 12.36%) [सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 का नियम 3(5A)(b) राशि-1 (CCR)]			1,23,600
(ii) यंत्र की निपटारा पर भुगतान योग्य राशि जब इसे विनिष्ट/स्क्रेप के अतिरिक्त हटाया है			
उत्पाद शुल्क (₹ 14,60,680 × 12.36/112.36)			1,60,680
मशीनरी पर सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य है			
वित्तीय वर्ष 2012-13	क्योंकि OPQ Ltd. SSI विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है, भुगतान उत्पाद शुल्क का 50% तक वित्तीय वर्ष जिसमें पूँजी वस्तु को प्राप्त किया है क्रेडिट के रूप में लाया जा सकता है शेष क्रेडिट को किसी बाद के वित्तीय वर्ष में लिया जा सकता है [CCR का नियम 4(2)(a) तथा 4(2)(b)]		80,340
वित्तीय वर्ष 2013-14			80,340
प्राप्त कुल सेनवैट क्रेडिट घटायें:			1,60,680
(i) प्रथम 50% क्रेडिट = [₹ 80,340 × 2.5%] × 10 त्रैमासिक 24.08.2012 को प्राप्त क्रेडिट		20,085	
(ii) अगला 50% क्रेडिट = [₹ 80,340 × 2.5%] × 7 (त्रैमासिक 01.04.2013 को क्रेडिट प्राप्त)		<u>14,060</u>	<u>34,145</u>
राशि - II (यंत्र की बिक्री पर भुगतान योग्य राशि जब इसे विनिष्ट/स्क्रेप के अन्यथा हटाया गया है)			1,26,535
[सौदा मूल्य पर भुगतान योग्य राशि - I अथवा CCR के नियम 3(5A)(a)(ii) के संदर्भ में राशि - II]			1,26,535

- (d) RWA द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान सेवा सेवा कर के लिए दायी है क्योंकि RWA तथा इसके सदस्यों को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65B(44) में समाहित "सेवा" की परिभाषा के स्पष्टीकरण 3(a) के कारण भिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाता है।

RWA के द्वारा भुगतान योग्य सेवा कर की गणना

विवरण	₹
₹ 3,500 प्रत्येक का 20 निवासी से अंशदान (नोट 1)	शून्य
₹ 6,500 प्रत्येक का 80 निवासी से अंशदान (नोट 2)	5,20,000
निवासियों की बिजली बिल के लिए संग्रहित राशि (नोट 3)	-
सामान्य उपयोग के लिए विद्युत उपयोग की तरफ RWA के नाम में जारी विद्युत बिल के संबंध में संग्रहित राशि (नोट 4)	<u>48,000</u>
कर योग्य सेवा का मूल्य (सेवा कर सहित)	<u>5,68,000</u>
सेवा कर दायित्व (₹ 5,68,000 × 12.36/112.36) (राउंड ऑफ)	62,482
सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 का नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि [₹ 70,000 का 6%] [नोट 5]	<u>4,200</u>
योग	66,682
घटायें: सेनवैट क्रेडिट (नीचे कार्यकारी टिप्पणी को देखें) ³	<u>17,860</u>
नकद में भुगतान योग्य सेवा कर	48,822

कार्यकारी टिप्पणी

अनुरक्षण मदों पर भुगतान उत्पाद शुल्क (₹ 50,000 × 12.36/112.36) (राउंड ऑफ)	₹ 5,500
प्राप्त सेवा पर भुगतान सेवा कर (₹ 1,00,000 × 12.36%)	₹ <u>12,360</u>
कुल सेनवैट क्रेडिट	₹ 17,860

नोट :

1. प्रति सदस्य ₹ 5,000 की राशि तक अंशदान मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के जरिये विमुक्त है।
2. यदि प्रति सदस्य प्रति अंशदान ₹ 5,000 से अधिक है, समस्त अंशदान उपरोक्त वर्णित विमुक्ति के लिए अपात्र होगा (परिपत्र संख्या 175/01/2014 ST दिनांक 0.01.2014)

² यह माना गया है कि RWA अधिसूचना संख्या 33/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के अन्तर्गत उपलब्ध लघु सेवा प्रदानकर्ता के लिए पात्र नहीं है।

³ यह माना गया है कि इनपुट के लिए पात्र तथा प्राप्त सेवा से सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के अन्तर्गत पात्र इनपुट सेवा है।

3. RWA द्वारा अपने सदस्यों को 'प्योर एजेंट की क्षमता में प्रदान सेवा को अलग किया है (परिपत्र संख्या 175/01/2014 ST दिनांक 10.01.2014)
4. क्योंकि इन सौदों में कोई एजेंट लिप्त नहीं है, अलग करना उपलब्ध नहीं होगा परिपत्र संख्या 175/01/2014 ST दिनांक 10.01.2014)
5. क्योंकि RWA दोनों विमुक्त तथा कर योग्य सेवा प्रदान कर रही है, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004⁴ का नियम 6(3)(i) का प्रावधान आकर्षित होगा जिसमें RWA को विमुक्त सेवा का मूल्य का 6% का भुगतान करना होगा।

नोट : क्योंकि मेगा विमुक्त अधिसूचना ₹ 5,000 की राशि तक प्रति सदस्य प्रति माह अंशदान का हिस्सा के जरिये के द्वारा स्वयं सदस्य को RWA द्वारा प्रदान सेवा को विमुक्त करता है। यह मत लेना भी संभव है कि ₹ 5,000 से आधिक्य में एक सदस्य का मासिक अंशदान अर्थात् ₹ 1,500 (₹ 6,500 – ₹ 5,000) कर योग्य होगा। उस मामले में, 80 निवासियों से अंशदान ₹ 1,20,000 से कर के लिए दायी होगा तथा तदनुसार सेवा कर दायित्व की गणना की जायेगी।

प्रश्न 2.

- (a) एक लघु स्तर उद्योग (SSI) M/s. S & Co. ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 70 लाख (₹ 50 लाख का वैट सहित) के दौरान क्लियरेंस की कुल मूल्य को प्रदान करता है। निम्न मदों सहित क्लियरेंस का मूल्य है :

क्रम संख्या	विवरण	₹ लाख में
1.	कुल निर्यात (नेपाल तथा भूटान के लिए सहित ₹ 200 लाख)	500
2.	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में यूनिट को शुल्क के भुगतान के बिना उत्पाद योग्य वस्तु की क्लियरेंस	20
3.	अधिसूचना संख्या 84/94 CE दिनांक 11.04.1994 के अन्तर्गत जॉब	50
4.	अधिसूचना संख्या 214/86 CE दिनांक 25.03.1986 के अन्तर्गत जॉब कार्य	50
5.	खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग का ब्रांड नाम वाले उत्पाद योग्य वस्तु की क्लियरेंस	200

अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 जैसे संशोधित किया के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए क्लियरेंस के मूल्य पर आधारित विमुक्त के लिए पात्रता का निर्धारण करें। उपयुक्त मान्यता करें तथा आपके उत्तर के लिए कारण दें। (4 अंक)

⁴ अनुपात परिवर्तित के बाद नियम सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 (CCR) के नियम 6(3)(ii) क्षेत्राधिकार अधीक्षण को सूचना देनी होती है और CCR के नियम 6(3)(iii) विकल्प देता है कि इनपुट के सम्बन्ध में अलग से खाते रखना आवश्यक हैं। ऊपर हल में नियम 6(9)(i) में सेनवैट क्रेडिट को परिवर्तित कर दिया गया है।

- (b) (i) Madhuban Services (P) Ltd. बौद्धिक सम्पदा पर सेवा को प्रदान करें तथा डिलिंग में लिप्त है। 31.03.2015 को समाप्त माह के दौरान, कम्पनी ने अपने ग्राहकों के साथ आर्म्स लेंथ के लिए निम्न गतिविधियों के साथ सौदा किया

विवरण	राशि ₹
XYZ manufactures को डिजाइन का स्थायी अंतरण	1,20,000
पेटेंट का उपयोग के लिए श्रीकांत (6 माह) को स्वीकृत करना जो इंडोनेशिया में पंजीकृत किया	60,000
इसने आयात प्रतिफल पर 5% की अनुसंधान तथा विकास उपकरण के भुगतान द्वारा England का Sam Peters से प्रौद्योगिकी तथा कुशलता को अधिगृहित किया।	25,00,000
इसने भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) का वाक्य (a) के अन्तर्गत कवर मूल नाटकीय कार्य का कॉपीराइट को अस्थायी रूप से अंतरित किया।	10,00,000

अपने समर्थन को प्रभाजित करने के लिए उपयुक्त नोट के साथ उपरोक्त सौदा पर भुगतान योग्य सेवा कर का निर्धारण करें। (4 अंक)

- (ii) निम्न स्वतंत्र मामलों में, एक साझेदारी फर्म M/s RS Sons जो विदेशी विनिमय डीलर (विदेशी मुद्रा का क्रेता तथा विक्रेता) के रूप में पंजीकृत है के द्वारा प्रदान कर योग्य सेवा को पायें।

(a) ₹ 63 प्रति US \$ की दर पर 02.01.2015 से भी श्री John से US \$ 2,000 का क्रय। उस दिन के लिए प्रत्येक US \$ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया संदर्भ दर ₹ 65.50 है।

(b) ₹ 1,40,000 को 15.01.2015 को पाउंड (GBP) में बदला तथा विनिमय दर ₹ 70 प्रति GBP है। (4 अंक)

- (c) श्री N ने एक वस्तु "ZEP" की 1000 यूनिट का आयात किया जिसका ₹ 1,150 प्रति यूनिट पर मूल्यांकन किया। इस वस्तु पर कस्टम ड्यूटी का मूल्यांकन ₹ 250 प्रति यूनिट किया तथा श्री N द्वारा भुगतान किया। उसने प्रति यूनिट ₹ 350 का लाभ मार्जिन जोड़ा तथा ₹ 1750 प्रति यूनिट के लिए वस्तु को बेचा।

वस्तु "ZEP" की समस्त यूनिट की बिक्री की एक माह के पश्चात् श्री N ने पाया कि कर निर्धारण में गलती है जिसका परिणाम कस्टम विभाग द्वारा शुल्क का अधिक संग्रहण है तथा ₹ 100 प्रति यूनिट का आधिक्य संग्रहण विभाग द्वारा वापसी के लिए दायी है। श्री N ने एक आवेदन को फाइल किया तथा वापसी की मांग की।

श्री N द्वारा प्राप्त की जाने वाली वापसी की राशि की गणना करें। साथ में उपरोक्त वर्णित स्थिति में वापसी से संबंधित कस्टम अधिनियम के प्रावधान का भी वर्णन करें। (4 अंक)

उत्तर

- (a) एक वित्तीय वर्ष में अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 के अन्तर्गत विमुक्ति का दावा करने के लिए, गृह उपभोग के लिए एक यूनिट की क्लियरेंस का योग ₹ 400 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में M/s. S & Co. की क्लियरेंस का योग मूल्य ₹ 400 लाख (नीचे गणना देखें) से अधिक नहीं है, यह वित्तीय वर्ष 2014-15 में अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 का लाभ का दावा के लिए पात्र है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान M/s. S & Co. की क्लियरेंस के मूल्य की गणना

विवरण	₹ (लाख में)
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान क्लियरेंस का कुल मूल्य	870
घटायें: उपरोक्त में सम्मिलित वेत	<u>50</u>
	820
घटायें: नेपाल तथा भूटान को निर्यात को छोड़कर निर्यात ₹ 200 लाख) [नोट 1]	300
घटायें: सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में एक यूनिट को शुल्क का भुगतान के बिना उत्पाद योग्य वस्तु की क्लियरेंस	20
घटायें: अधिसूचना संख्या 84/94 CE दिनांक 11.04.94 तथा अधिसूचना संख्या 214/86 CE दिनांक 25.3.86 के अन्तर्गत किया जाँब कार्य (₹ 50 लाख + ₹ 50 लाख)	<u>100</u>
अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 के उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान क्लियरेंस का मूल्य	<u>400</u>

नोट :

अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 के अनुसार, गत वर्ष के दौरान गृह उपयोग के लिए क्लियरेंस के मूल्य की गणना करते हुए

1. नेपाल तथा भूटान को निर्यात को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें गृह उपयोग के लिए क्लियरेंस के रूप में माना जाता है।
2. एक अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम वाले उत्पाद योग्य वस्तु की क्लियरेंस जो SSI विमुक्ति को प्रदान करने के लिए अपात्र है को अलग किया जायेगा। यद्यपि, क्योंकि खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग का ब्रांड नाम वाली क्लियरेंस SSI विमुक्ति के लिए पात्र हैं उसे सम्मिलित किया जायेगा।

- (b) (i) **भुगतान योग्य सेवा कर की गणना**

विवरण	₹
सामान्य प्रभार के अन्तर्गत भुगतान योग्य सेवा कर डिजाइन का स्थायी अंतरण (नोट 1)	शून्य

इंडोनेशिया में पंजीकृत पेटेंट के उपयोग की आज्ञा [नोट 2]	60,000
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) का वाक्य (a) के अन्तर्गत कवर मूल नाटकीय कार्य का अस्थायी अंतरण (नोट 3)	शून्य
कर योग्य सेवा का मूल्य (सेवा कर सहित)	60,000
सेवा कर ⁵ (₹ 60,000 × 12.36/112.36) (A)	6,600
रिसर्व प्रभार के अन्तर्गत भुगतान योग्य सेवा कर इंग्लैंड से प्रौद्योगिकी का अधिगृहण (नोट 4)	25,00,000
12% की दर से सेवा कर	3,00,000
घटायें अनुसंधान तथा विकास (R&D) उपकर भुगतान (नोट 5)	<u>1,25,000</u>
भुगतान योग्य सेवा कर	1,75,000
₹ 1,75,000 पर 3% की दर से शिक्षण उपकर	<u>5,250</u>
सेनवैट क्रेडिट के रूप में उपलब्ध रिवर्स प्रभार के अन्तर्गत भुगतान योग्य कुल सेवा कर तथा भुगतान योग्य शिक्षण उपकर (नोट 6) (B)	1,80,250
नकद में भुगतान योग्य सेवा कर (A) – (B)	शून्य

नोट :

- केवल बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (IPR) का अस्थायी अंतरण वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66E(c) के अन्तर्गत घोषित सेवा है।
- पेटेंट एक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (IPR) है तथा कानून के अन्तर्गत कोई शर्त नहीं है कि IPR को पंजीकृत होना चाहिए, भारत से बाहर पंजीकृत एक पेटेंट का अस्थायी अंतरण को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66E(c) के अन्तर्गत कवर किया जाता है तथा सेवा कर से दायी होगा। यह माना गया है कि इस प्रकार के पेटेंट की अस्थायी अंतरण की सेवा का प्रावधान का स्थान कर योग्य क्षेत्र में है।
- भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) का वाक्य (a) के अन्तर्गत कवर मूल नाटकीय कार्य का कॉपीराइट का अस्थायी अंतरण के जरिये प्रदान सेवा मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के अन्तर्गत विमुक्त है।
- जहां पर कर योग्य सेवा को गैर कर योग्य क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान तथा कर योग्य क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया है, सेवा कर के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति रिवर्स प्रभार यंत्रीकरण के अन्तर्गत इस

⁵ It has been presumed that Madhuban Services (P) Ltd. is not eligible for small service provider's exemption available under Notification No. 33/2012 ST dated 20.06.2012

प्रकार की सेवा का प्राप्तकर्ता है। (वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2) जिसे अधिसूचना संख्या 30/2012 दिनांक 20.06.2012 के साथ पढ़ा जाये।

5. R&D उपकर भुगतान की प्रौद्योगिकी का आयात में लिप्त कर योग्य सेवा पर भुगतान योग्य सेवा कर से इस मान्यता पर कटौती के रूप में स्वीकृत है कि इस संबंध में निर्दिष्ट सभी शर्तों की अनुपालना की है (अधिसूचना संख्या 14/2012 ST दिनांक 17.03.2012)
 6. यह मानकर कि Sam Peters से प्रौद्योगिकी तथा कुशलता में लिप्त सेवा एक पात्र इनपुट सेवा है तथा पेटेंट की अस्थायी उपयोग की स्वीकृति की कर योग्य सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया है, रिवर्स प्रभार के अन्तर्गत इस प्रकार की सेवा पर भुगतान सेवा कर सेनवैट क्रेडिट⁶ के रूप में उपलब्ध है।
- (ii) सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियम 2006 (मूल्यांकन नियम) का नियम 2B के अनुसार—
- (a) एक विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा बिक्री से संबंधित कर योग्य सेवा का मूल्य जब करेंसी को भारतीय रूप से अथवा उसमें विनिमय किया जाता है, क्रय/विक्रय दर में अंतर के बराबर है तथा उस समय पर उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर को करेंसी की कुल यूनिट द्वारा गुणा किया जाता है। इसलिए, कर योग्य सेवा का मूल्य

$$= ₹ (65.50 - 63) \times 2,000$$

$$= ₹ 5,000$$
 - (b) मूल्यांकन नियम का नियम 2B के प्रथम उपबंध के अनुसार यदि एक करेंसी के लिए RBI संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है, कर योग्य सेवा का मूल्य

$$= \text{धन विनिमयकर्ता के द्वारा प्राप्त भारतीय रुपये की सकल राशि का 1\%}$$

$$= ₹ 1,40,000 \text{ का 1\%}$$

$$= ₹ 1,400$$
- (c) श्री N सीमा शुल्क की वापसी के लिए पात्र नहीं है। कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 28D प्रदान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क का भुगतान किया है जब तक उसके विपरीत साबित न हो जाये, इस प्रकार की वस्तु का क्रेता को इस प्रकार का शुल्क का पास हुआ माना जायेगा।
दिये गये मामले में, श्री N (आयातक) द्वारा क्रेता से वसूल कीमत में शुल्क तत्व सम्मिलित है क्योंकि उसने ₹ 1,400 (वस्तु की प्रति यूनिट कीमत जमा उस पर सीमा शुल्क) पर

⁶ CCR का नियम 6(3)(i) का प्रावधान आकर्षित होगा यदि यह माना गया है कि इनपुट सेवा को दोनों कर योग्य तथा विमुक्त आउटपुट सेवा के लिए प्रयुक्त किया है।

₹ 350 का लाभ मार्जिन को जोड़ता है तथा तब वस्तु को ₹ 1,750 पर बेचता है। इसलिए, N ने क्रेता को शुल्क का भारत दिया (पास) किया तथा यदि उसे कोई वापसी प्रदान की है, यह उस पर वह लाभ देगा जिसके लिए इसके पास कोई वैध अधिकार नहीं है।

कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 27 जो सीमा शुल्क की वापसी से संबंधित प्रावधान को संचालित करता है प्रदान करता है कि इस प्रकार के मामले में वापसी ग्राहक कल्याण फंड को क्रेडिट किया जायेगा। इसे अनुचित लाभ का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

यद्यपि, कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 27(2) का प्रथम उपबंध प्रदान करता है कि अनुचित लाभ का सिद्धांत इस प्रकार के शुल्क के भुगतान तथा शुल्क की वापसी पर ब्याज यदि कोई है पर लागू नहीं होगा यदि इस प्रकार की राशि आयातक/निर्यातक द्वारा भुगतान शुल्क तथा ब्याज से संबंधित है यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार का शुल्क तथा ब्याज के भार को अन्य व्यक्ति को पास नहीं किया।

उपरोक्त मामले में, ₹ 1,00,000 (1000 यूनिट × ₹ 100) की वापसी उपभोक्ता कल्याण फंड को क्रेडिट किया जायेगा।

प्रश्न 3.

- (a) ABC Ltd. शुल्क भुगतान इनपुट का उपयोग कर M.M Yarn का निर्माण किया तथा उसे शुल्क के भुगतान पर निर्माता के लिए क्लीयर किया। इसने केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002 का नियम 18 के अन्तर्गत इनपुट पर इसके द्वारा भुगतान शुल्क तथा साथ में निर्मित वस्तु पर भुगतान शुल्क की छूट का दावा किया। विभाग ने वापसी दावा को इस आधार पर छूट दावा को अस्वीकृत कर दिया कि नियम 18 इनपुट पर शुल्क भुगतान की छूट के साथ निर्यातित निर्मित वस्तु पर भुगतान शुल्क की छूट को प्रदान करने की अनुमति नहीं देता। मुकदमे (यदि कोई है तो) पर आधारित, स्पष्ट करें क्या छूट दावा की विभाग की अस्वीकृति उचित है? (4 अंक)

- (b) (i) वित्त अधिनियम, 2014 के द्वारा अधिसूचना संख्या 6/2014 दिनांक 11.07.2014 के जरिये किये संशोधन के मत में 11.07.2014 के प्रभाव से निम्न सेवा की कर योग्यता अथवा अन्यथा की कर योग्यता को निर्धारित करें तथा निम्न सेवा की सेवा कर दायित्व को निकालें (SSP विमुक्ति किसी सेवा को उपलब्ध नहीं है)

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹)
A.	₹ 75,000 तथा ₹ 1,00,000 के मध्य बीमित राशि के साथ IRDA अनुमोदित सूक्ष्म बीमा पर एकत्रित प्रीमियम	1,25,000
B.	भारतीय यात्रा परिचालक ने भारतीय पर्यटक के लिए भारत से बाहर यात्रा को परिचालित करने के लिए सेवा शुल्क को प्राप्त किया।	2,25,000
C.	एक गांव में जनता को जल आपूर्ति तथा सफाई सेवा का आयोजन के लिए सरकार को प्रदान परामर्श सेवा	4,00,000

D.	RBI ने विदेशी विनिमय सेवा का प्रबंधन के संबंध में भारत से बाहर प्राप्त सेवा	18,00,000
E.	तिरुपति मंदिर आवास सेवा को प्रदान करता है जिसका 100 यूनिट के लिए ₹ 1,200 प्रति दिवस की आवास की एक यूनिट का घोषित टैरिफ है।	1,20,000
F.	पर्यटन के अतिरिक्त उद्देश्य के लिए रेडियो टेक्सी (गैर वातानुकूलित)	2,40,000

(6 अंक)

- (ii) सेवा कर के संदर्भ में स्पष्ट करें
- (1) EASIEST (उत्पाद तथा सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन सिस्टम)
- (2) CIN चालान पहचान संख्या (1 + 1 = 2 अंक)
- (c) KRY Logistics Ltd. एक स्टीमर एजेंट ने एक आयात सामान्य जहाज की माल की सूची को लिया तथा कस्टम अधिनियम, 1962 की अनुपालना में सभी कार्यकलाप की परिचालन के लिए कस्टम प्राधिकरण के सम्मुख जहाज का मास्टर (प्रभारी व्यक्ति) की तरफ से कार्यवाही की। स्टीमर एजेंट ने आयात सामान्य माल सूची को फाइल किया, कंटेनर्स पर सील लगायी तथा सील कंटेनर्स का प्रभार लिया। इसने उपयुक्त आदेश जिसे कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा के संदर्भ में पारित किया जाना है, के लिए कस्टम विभाग से डील की। वस्तु की कम लेंडिंग के लिए स्टीमर एजेंट पर विभाग द्वारा कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 116 के अन्तर्गत दंड लगाया।
- एक निर्णित मुकदमा यदि कोई है की सहायता से परीक्षण करें क्या विभाग स्टीमर एजेंट पर दंड लगाने के लिए न्यायोचित है? (4 अंक)

उत्तर

- (a) हां विभाग द्वारा छूट दावा की अस्वीकृति उचित है।
- केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002 का नियम 18 रखता है कि जहां पर किसी वस्तु का निर्यात किया, केंद्रीय सरकार इस प्रकार की उत्पाद योग्य वस्तु पर भुगतान शुल्क अथवा इस प्रकार की वस्तु का निर्माण अथवा प्रोसेसिंग में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान शुल्क पर छूट प्रदान कर सकती है।
- उच्च न्यायालय ने *Rajasthan Textile Mills vs. UOI 2013 (298) ELT 183 (Raj.) affirmed in 2014 (302) ELT 343 (Raj.)* के मामले में निर्णय दिया कि नियम 18 में शब्द "अथवा" की शाब्दिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए न कि "तथा" के रूप में क्योंकि शाब्दिक व्याख्या उक्त नियम का इरादा को प्रभाव देता है अर्थात् एक मद या तो निर्यातित निर्मित वस्तु अथवा इस प्रकार की वस्तु के निर्माण अथवा प्रोसेसिंग में प्रयुक्त इनपुट पर छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि नियम 18 के अन्तर्गत दो भिन्न अधिसूचना संख्या 19/2004 CE (NT) दिनांक 06.09.2004 तथा अधिसूचना संख्या 21/2004 CE (NT) दिनांक 06.09.2004 को यह प्रदान करने के लिए है कि सभी उत्पाद योग्य वस्तु पर भुगतान शुल्क की छूट तथा निर्यात वस्तु का निर्माण/प्रोसेसिंग में प्रयुक्त इनपुट पर भुगतान शुल्क पर छूट के लिए जारी कर यह स्पष्ट किया है कि दोनों लाभ का एक साथ दावा नहीं किया जा सकता।

(b) (i)

क्रम संख्या	विवरण	कर योग्य सेवा का मूल्य (सेवा कर सहित) ₹	सेवा कर दायित्व (₹)
A.	₹ 75,000 से ₹ 1,00,000 के मध्य बीमित राशि के साथ IRDA अनुमोदित सूक्ष्म बीमा योजना ⁸ पर प्रीमियम (नोट 1)	1,25,000	1,25,000 × 12.36/112.36 = ₹ 13,750 (राउंड ऑफ)
B.	भारतीय पर्यटकों के लिए भारत से बाहर टूर के परिचालन के लिए भारतीय यात्रा परिचालक द्वारा प्राप्त सेवा शुल्क (नोट 2)	2,25,000	
	यदि यात्रा पैकेज यात्रा है— छूट का 75%		2,25,000 × 25/100 × 12.36/112.36 = ₹ 6,188 (राउंड ऑफ)
	यदि यात्रा परिचालक केवल निवासी की व्यवस्था करता है— 90% छूट		= 2,25,000 × 10/100 × 12.36/112.36 = ₹ 2,475 (राउंड ऑफ)
	उपरोक्त दो के अतिरिक्त सेवा – 60% छूट		2,25,000 × 40/100 × 12.36/112.36 = ₹ 9,900 (राउंड ऑफ)

⁷ हाल ही में, *Spontex Industries Ltd. vs. CCE 2015 (324) ELT 686 (SC)* के मामले में केन्द्रीय उत्पाद नियम, 2002 के नियम 18 में इनपुट और अन्तिम उत्पाद दोनों का रिबेट प्राप्त करने का हकदार है और यहाँ शब्द 'अथवा' का प्रयोग 'तथा' के अर्थ में किया गया।

⁸ यह माना गया है कि 'जीवन सुरक्षा बीमा उत्पाद' के लिए प्रीमियम इकट्ठा किया गया है।

C.	गांवों में जल आपूर्ति तथा सफाई सेवा के आयोजन के लिए सरकार को प्रदान परामर्श सेवा (नोट 3)	4,00,000	$4,00,000 \times 12.36/112.36$ = ₹ 44,001 (राउंड ऑफ)
D.	विदेशी विनिमय सेवा का प्रबन्धन के संबंध में भारत से बाहर RBI द्वारा प्राप्त सेवा (नोट 4)	Exempt	शून्य
E.	100 यूनिट के लिए आवास की एक यूनिट के लिए ₹ 1,200 प्रति दिवस का घोषित टैरिफ पर तिरुपति मंदिर द्वारा प्रदान आवास सेवा 40% छूट ⁹ (नोट 5)	1,20,000	$1,20,000 \times 60/100 \times 12.36/112.36$ = ₹ 7,920 (राउंड ऑफ)
F.	पर्यटन के अतिरिक्त उद्देश्य के लिए रेडियो टेक्सी (गैर वातानुकूलित) (नोट 6) छूट 60%	2,40,000	$2,40,000 \times 40/100 \times 12.36/112.36$ = ₹ 10,560 (राउंड ऑफ)

नोट : मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के अनुसार 11.07.2014 के प्रभाव से

1. ₹ 50,000 की अधिकतम राशि का कवर वाली जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पाद जैसा IRDA द्वारा अनुमोदित किया है के संबंध में प्रदान सेवा विमुक्त है। क्योंकि दिये गये मामले में बीमित राशि ₹ 50,000 से अधिक है, उक्त सेवा कर से दायी है।
2. भारत से बाहर परिचालित एक यात्रा के संबंध में एक भारतीय यात्रा परिचालक द्वारा सेवा केवल तब ही विमुक्त है यदि इस प्रकार की सेवा विदेशी पर्यटक को प्रदान की है। टूर परिचालक द्वारा प्रदान सेवा कर प्रसर पर निर्भर अधिसूचना संख्या 26/2012 ST दिनांक 20.06.2012 कर योग्य सेवा के लिए वसूल सकल राशि से विभिन्न छूट को प्रदान करता है। यह माना गया है कि उपरोक्त छूट को प्राप्त करने की सभी शर्तों की अनुपालना हो गयी है।
3. विमुक्ति स्वयं में जल आपूर्ति तथा सफाई सेवा के जरिये सरकार को प्रदान सेवा तक सीमित है। इसलिए, इस प्रकार की सेवा से जुड़ी अन्य सेवा उदाहरण: परामर्श, डिजाइन इत्यादि सेवा कर से दायी होगी।

⁹ आवासीय सेवा प्रदान करने की सेवा प्रदान करने को माना जा रहा है कि वाणिज्यिक जगह रहने के लिए या अस्थायी आवास के लिए उपलब्ध है।

4. भारत से बाहर RBI द्वारा विदेशी विनिमय समय के प्रबन्धन के संबंध में प्राप्त सेवा विमुक्त है।
 5. होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब अथवा कैम्पसाइट के द्वारा आवास के लिए सेवा सेवा कर से विमुक्त है बशर्ते निवास की एक यूनिट का घोषित टैरिफ ₹ 1,000 प्रति दिवस अथवा समतुल्य से कम है। अधिसूचना संख्या 26/2012 ST दिनांक 01.03.2003 निवास के उद्देश्य के लिए होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब, कैम्पसाइट अथवा वाणिज्यिक स्थान का किराया के लिए छूट को 40% तक बढ़ाता है। यह माना गया है कि उपरोक्त छूट को प्राप्त करने के लिए सभी शर्तों की अनुपालना हो गयी।
 6. रेडियो टैक्सी—दोनों वायुनुकूलित तथा गैर वातानुकूलित के द्वारा यात्री परिवहन की सेवा की विमुक्ति को वापस ले लिया। अधिसूचना संख्या 26/2012 ST दिनांक 01.03.2003 60% छूट को रेडियो टैक्सी के द्वारा यातायात तक बढ़ाता है। यह माना गया है कि उक्त छूट को प्राप्त करने के लिए सभी शर्तों की अनुपालना हो गयी।
- (ii) (1) EASIEST केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का भुगतान को आसान करने के लिए विकसित भुगतान गेटवे है। इस योजना के अन्तर्गत चालान की केवल एक कॉपी को फाइल करना होता है। यह चालान पहचान संख्या का उपयोग कर का भुगतान की स्थिति की ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा को प्रदान करता है।
- (2) चालान पहचान संख्या (CIN) एक 20 अंक पहचानकर्ता है जिसे करदाता कम्प्यूटर सृजित अभिस्वीकृति/रसीद पर दी जाती है। यह शाखा का BSR कोड (प्रथम 7 अंक), जमा की तिथि (अगले 8 अंक) तथा चालान शृंखला संख्या (अंतिम 5 अंक) का समुच्चय है।
- (c) दिये गये मामले में मुद्दा है क्या कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 116(a) के अन्तर्गत वस्तु की कम लेंडिंग के लिए दंड जो वाहन की प्रभारी व्यक्ति पर लगेगा को स्टीमर एजेंट पर लगाया जा सकता है।

कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 148 के अन्तर्गत, वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा नियुक्त एजेंट तथा कस्टम के किसी अधिकारी के सम्मुख स्वयं को प्रभारी व्यक्ति के एजेंट के रूप में पेश करता है कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रभारी व्यक्ति पर लगाये सभी दायित्व को पूरा करने तथा दंड तथा जब्ती (यदि कोई है तो) के लिए दायी है एक जहाज के मामले में कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 2(31) के अनुसार, जहाज के मामले में जहाज का मास्टर प्रभारी व्यक्ति है।

उच्च न्यायालय ने *Caravel Logistics Pvt. Ltd. vs Joint Secretary (RA) 2013 (293) ELT 342 (Mad.)* के मामले में अवलोकित किया कि जब करनिर्धारि ने कंटेनर्स पर सील को चिपकाया तथा उसका प्रभार लिया, उसने जहाज के मास्टर (प्रभारी व्यक्ति) की तरफ से कार्यवाही की है। यह निर्णय दिया गया कि कस्टम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान का

संयुक्त पाठन यह स्पष्ट करता है कि वस्तु की कम लेंडिंग के मामले में प्रभारी व्यक्ति पर लगने वाला दंड उसके द्वारा नियुक्त एजेंट पर भी लगाया जा सकता है।

इस मामले पर उक्त निर्णय के तर्क को लागू कर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभाग स्टीमर एजेंट पर दंड लगाने में न्यायोजित है।

प्रश्न 4.

- (a) केंद्रीय सरकार ने धारा 5A के अन्तर्गत एक आदेश पारित कर एक अधिसूचना के जमा पर उत्पाद शुल्क के भुगतान में पूर्ण विमुक्ति प्रदान की। *AKS Co. (P) Ltd.* ने इस पर कार्यवाही की जब केंद्रीय सरकार ने एक विशेष तिथि से प्रभावी विमुक्ति अधिसूचना को लाभ को प्राप्त करने के तिलए कुछ शर्तों को लगाते हुए बाद में अधिसूचना को पारित किया। *AKS Co. (P) Ltd.* ने इस आधार पर लाभ को घटाने की चुनौती दी कि *promissory estoppel* का सिद्धांत लागू था तथा संसद के प्राधिकरण के बिना सरकार द्वारा लाभ को घटाया नहीं जा सकता। एक उपयुक्त मुकदमे के साथ मुद्दे की चर्चा करें।
(4 अंक)
- (b) (i) *SEZ* का एक डेवलपर *Narikela Services (P) Ltd.* *SEZ* में प्राधिकृत परिचालन को चलाने के लिए एक अन्य सेवा प्रदानकर्ता से सेवा प्राप्त कर रहा है। *Narikela Services (P) Ltd.* इस प्रकार की गतिविधियों को चलाते हुए सेवा कर की विमुक्ति तथा वापसी के संबंध में सलाह मांगता है। सेवा कर कानून के अन्तर्गत उपयुक्त प्रावधान को संदर्भित कर इस संबंध में पेशेवर सलाह प्रदान करें।
(4 अंक)
- (ii) *Kalyani Hotels (P) Ltd.* की राय है कि रेस्त्रां में प्रदान सेवा तथा बाहरी खानपान में प्रदान सेवा एक जैसी है तथा इसलिए उन्हें क्रमशः 40% तथा 60% पर मूल्यांकन करना गलत है। उपयुक्त मुकदमे के साथ चर्चा करें।
(4 अंक)
- (c) निपटारा आयोग ने श्री बैनर्जी की जब्त वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश पारित किया क्योंकि वस्तु खराब होने वाली थी, राजस्व ने आयोग को सूचित किया कि जब्त वस्तु की नीलामी कर दी है। आयोग ने इसलिए राजस्व को कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 150(2) के अन्तर्गत प्रदान के अनुसार बिक्री राशि का उपयोग के पश्चात् शेष राशि की वापसी करने का निर्देश दिया। राजस्व ने देरी के लिए ब्याज के भुगतान के बिना बिक्री राशि की मूलधन राशि को वापस किया। राजस्व ने ब्याज का भुगतान इस आधार पर नहीं किया कि यह कस्टम अधिनियम की धारा 27 तथा 27-A के अन्तर्गत वर्णित शुल्क अथवा ब्याज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक मुकदमे के साथ राजस्व की कार्यवाही का कारण दें।
(4 अंक)

उत्तर

- (a) सामान्य वाक्य अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अनुसार, अधिसूचना को जारी करने का अधिकार में इस प्रकार की अधिसूचना को जोड़ने, संशोधित करने, परिवर्तित करने अथवा खंडन करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय ने *Kasinka Trading vs. UOI 1994 (74) ELT 782 (SC)* में निर्णय दिया कि विमुक्ति के अधिकार में उसे संशोधन करने अथवा हटाने का अधिकार सम्मिलित

है। एक विमुक्ति अधिसूचना का अधिक्रमण अथवा निरस्त करना स्वयं कानून के अन्तर्गत राज्य का वैधानिक अधिकार का उपयोग है बशर्ते यह 'सार्वजनिक हित' में है।

क्योंकि अधिसूचना को इसके लाभ को प्राप्त करने वाले पक्ष को 'प्रतिवेदन' का बढ़ाना नहीं कहा जा सकता 'वायदा' तो दूर की बात है, Promissory Estoppel का सिद्धांत को राज्य के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है।

उक्त मत का समर्थन उच्चतम न्यायालय ने कर अन्य मामले जैसे *R.C. Tobacco Pvt. Ltd. vs. UOI 2005 (188) ELT 129 (SC)* तथा *UOI vs. Dharampal Satyapal Ltd. 2015 (319) ELT 6 (SC)* में किया। उसी तरह *Shrijee Sales Corporation & Anr. vs. Union of India 1997 (89) ELT 452 (SC)* के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि यदि सार्वजनिक हित में है तो विमुक्ति अधिसूचना को वापस/संशोधित किया जा सकता है चाहे यदि अधिसूचना में अवधि का संकेत दिया है जिसमें विमुक्ति प्रभाव में रहेगी। आगे निर्णय दिया गया है कि सरकार एक वायदा से पीछे हटने के लिए सक्षम है चाहे इसमें कोई प्रकट सार्वजनिक हित लिप्त न हो बशर्ते किसी को प्रतिकूल स्थिति में न डाला हो जिसे सुधारा न जा सकता हो।

यह नोट किया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय तथा कुछ उच्च न्यायालय के मामलों में विपरीत मत लिया है जहां पर समयबद्ध अधिसूचना की संशोधन/वापसी सार्वजनिक हित के कारण नहीं है तथा एक अन्य पक्ष अपनी पहले की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के मामले में, Promissory Estoppel का सिद्धांत लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, *Pepsico India Holdings vs. State of Kerala (2009) 24 VST 67 (SC)*, *Pawan Alloys vs. UPSEB AIR 1997 SC 3910* तथा *Berlia Chemicals, Bombay vs. UOI 1993 (67) ELT 481 (Bom.)*.

- (b) (i) SEZ का डेवलपर्स Narikela Services (P) Ltd. इसके द्वारा प्राप्त सेवा के संबंध में विमुक्ति के लिए पात्र है। अधिसूचना संख्या 12/2013 ST दिनांक 01.07.2013 विमुक्ति को दो तरीके में प्रदान करता है एक शुरु से विमुक्ति के जरिये तथा दूसरा निम्न तरीके में वापस के जरिये।

यदि SEZ डेवलपर के द्वारा प्राप्त निर्दिष्ट सेवा को प्राधिकृत परिचालन के लिए एकनिष्ठ रूप से प्रयुक्त किया, सेवा कर से आरंभिक विमुक्त उपलब्ध है।

यद्यपि यदि निर्दिष्ट सेवा को एकनिष्ठ रूप से प्राधिकृत परिचालन के लिए प्रयुक्त नहीं किया अथवा यदि शुरु से विमुक्ति चाहे स्वीकृत है का निर्दिष्ट सेवा पर दावा नहीं किया, विमुक्ति को वापसी के जरिये प्रदान किया जाता है।

यदि SEZ डेवलपर इस विमुक्ति को प्राप्त करने के लिए चुनता है, यह निर्दिष्ट सेवा पर सेनवैट क्रेडिट नहीं ले सकता।

SEZ डेवलपर को SEZ में प्राधिकृत परिचालन के लिए निर्दिष्ट सेवा जिसके लिए विमुक्ति का दावा किया की प्राप्ति तथा उपयोग का उचित खाता को रखने की आवश्यकता है।

(ii) रेस्त्रां सेवा तथा बाहरी खानपान सेवा को क्रमशः कुल मूल्य का 40% तथा 60% पर भिन्न रूप से मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि बाहरी खानपान सेवा के मामले में सेवा तत्व रेस्त्रां सेवा से अधिक है। उच्चतम न्यायालय ने *Tamil Nadu Kalyana Mandapam Association vs. UOI 2004 (167) E.L.T. 3 (SC)* के मामले में निर्णय दिया कि बाहरी खानपान सेवा के मामले में:

- (i) ग्राहक प्रकार, तरीका तथा मात्रा जिसमें भोजन को सर्व किया जाना है को चुनने में, स्वतंत्र है, परन्तु रेस्त्रां के मामले में, भोजन के बारे में ग्राहक का चुनाव मेन्यू कार्ड तक सीमित है।
- (ii) ग्राहक समय तथा स्थान को चुनने की स्वतंत्रता रखता है जहां पर भोजन को सर्व किया जाना है।
- (iii) ग्राहक खानपान कर्ता को भुगतान की जाने वाली कीमत सहित खानपान सेवा के प्रत्येक तत्व की सौदेबाजी करता है।
- (iv) ग्राहक को व्यक्तिगत सेवा का तत्व प्रदान किया जाता है।

इसलिए, Kalyani Hotels (P) Ltd. की राय सही नहीं है तथा रेस्त्रां सेवा तथा बाहरी खानपान सेवा का मूल्य एक जैसा नहीं हो सकता।

(c) कानून में राजस्व की कार्यवाही उचित नहीं है। उच्च न्यायालय ने *Vishnu M Harlalka vs. Union of India 2013 (294) ELT 5 (Bom.)* के इसी मामले में विभाग को बिक्री राशि के शेष पर भुगतान करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि विभाग द्वारा शेष बिक्री कीमत के भुगतान में असामान्य देरी उचित नहीं है। विभाग दलील नहीं दे सकता कि कस्टम अधिनियम, 1962 केवल शुल्क तथा ब्याज की वापसी के संबंध में केवल ब्याज के भुगतान को प्रदान करता है तथा अतएव करनिर्धारि बिक्री राशि जिसके भुगतान का निर्देश निपटारा आयोग द्वारा किया के शेष पर ब्याज के लिए हकदार नहीं होगा।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की प्रार्थना की स्वीकृति का अर्थ है कि वापसी को प्रदान करने में विभाग को निर्देश देने के सक्षम प्राधिकरण के आदेश के बावजूद, विभाग वापसी को प्रदान करने के लिए असामान्य रूप से लम्बी अवधि का इंतजार कर सकता है।

प्रश्न 5.

- (a) संक्षेप में स्पष्ट करें क्या बैबेस (bagasse) जो एक विपणन योग्य उत्पाद है परन्तु निर्मित उत्पाद नहीं है उत्पाद शुल्क के तहत हो सकती है। आप निर्मित मामला (यदि कोई है तो) की सहायता ले सकते हैं। (4 अंक)
- (b) (i) निर्यात वेयर हाउसिंग के संबंध में वेयर हाउस के अंदर पैकिंग, पुनः पैकिंग, लेबिलिंग अथवा पुनः लेबिलिंग से संबंधित केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002 के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया की चर्चा करें। (4 अंक)

- (ii) AKB Construction Ltd. आवासीय परिसर सेवा की निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत सेवा को प्रदान करने वाली निर्माण कम्पनी थी तथा वित्त अधिनियम, 1994 का प्रावधान के अनुसार सेवा कर का भुगतान कर रही थी। उन्होंने एक व्यास की तरफ से निर्माण कार्य किया तथा तदनुसार सेवा कर का भुगतान किया।

यद्यपि बाद में उन्होंने इस प्रकार भुगतान सेवा कर के लिए वापसी दावा को फाइल किया यह दलील देकर कि वे सेवा कर के लिए वास्तव में दायी नहीं थे क्योंकि यह विमुक्त था। विभाग ने भी यह विवाद नहीं किया कि इस मामले में सेवा कर विमुक्त था। यद्यपि वापसी दावा इस आधार पर अस्वीकृत हो गया कि इसे केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 11B में प्रदान परीसीमन अवधि से आय फाइल किया।

चर्चा करें क्या कि भाड़ा वापसी दावा की अस्वीकृति से न्यायोचित है (आप अपने उत्तर के समर्थन में किसी निर्णित मुकदमे (यदि कोई है तो) को संदर्भित कर सकते हैं। (4 अंक)

- (c) (i) क्या यह सही है कि "मूल सीमा शुल्क से विमुक्त वस्तु स्वतः सीमा की अतिरिक्त शुल्क से विमुक्त होगी?"
कारण सहित स्पष्ट करें।
- (ii) "कस्टम टैरिफ अधिनियम" 1975 का धारा 8A के अन्तर्गत आयात शुल्क को जगाने अथवा बढ़ाने का आयात अधिकार है" पर टिप्पणी लिखें। (2 + 2 = 4 अंक)

उत्तर

- (a) यद्यपि बैगैस एक उत्पाद योग्य उत्पाद है, यह उत्पाद शुल्क के तहत नहीं हो सकता क्योंकि निर्मित वस्तु नहीं है। उच्चतम न्यायालय में *Balrampur Chini Mills Ltd.* आदेश दिनांक 21.7.2010 में आदेश दिया कि बैगैस एक विनिष्ट है तथा निर्मित उत्पाद नहीं है। बैगैस को कभी निर्मित नहीं किया जाता परन्तु यह अंतिम उत्पाद अर्थात् चीनी के निर्माण के लिए गन्ना की पिराई से विनिष्ट के रूप में है।

बाद में जब *Balrampur Chini Mills Ltd. vs. Union of India* 2014 (300) ELT 372 (All.) के मामले में बैगैस की विपणन योग्यता का मामला उच्च न्यायालय के सम्मुख लाया गया, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बैगैस निर्विवाद रूप से विपणन योग्य उत्पाद है, इस पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसमें निर्माणी गतिविधि लिप्त नहीं है।

केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 3 थी वर्णित करता है कि उत्पाद शुल्क लगाने के लिए यह उत्पाद योग्य वस्तु का निर्माण होना चाहिए। दिये गये मामले में, यद्यपि बैगैस उत्पाद योग्य वस्तु है, इसे निर्मित नहीं किया जाता। इसलिए बैगैस उत्पाद शुल्क नहीं हो सकता।

- (b) (i) वेयर हाउस में प्राप्त तथा स्टोर उत्पाद योग्य वस्तु के संबंध में पैकिंग, पुनः पैकिंग, लेबलिंग अथवा पुनः लेबलिंग का परिचालन नियम 20 के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा संचालित है।

निर्यात वेयर हाउस रजिस्टर में उपयुक्त प्रविष्टि की जानी चाहिए। किसी विनिष्ट अथवा कचरा को समायोजित करने के पश्चात् मात्रा की गैर समाधान के मामले में,

अंतरीय मात्रा को बिना हिसाब के मानना होगा तथा शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही आरंभ करनी होगी।

किसी शुल्क भुगतान वस्तु को वेयर हाउस में लाने की अनुमति नहीं है। यद्यपि, निर्यातक शुल्क भुगतान पैकिंग अथवा लेबलिंग, सामग्री को प्राप्त कर सकता है तथा उसे न्यायक्षेत्र सहायक/उपायुक्त से अनुमति के पश्चात् वेयर हाउस में ला सकता है।

निर्यातक उक्त सामग्री पर शुल्क भुगतान जैसे किसी निर्यात लाभ का दावा नहीं करेगा।

जहां पर केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 के प्रावधान के संदर्भ में पैकिंग, पुनः पैकिंग, लेबलिंग अथवा पुनः लेबलिंग का प्रोसेस को निर्माण माना जाता है, गृह उपयोग के लिए क्लियरेंस के लिए अनुमेय वस्तु का तदनुसार निर्धारण किया जायेगा।

- (ii) नहीं, विभाग वापसी दावा को खारिज करने में न्यायोचित नहीं है। उच्च न्यायालय ने *CCE (A) vs. KVR Construction 2012 (26) STR 195 (Kar.)* के मामले में निर्णय दिया कि सेवा कर के रूप में गलती से भुगतान एक राशि की वापसी को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 11B के अन्तर्गत परीसीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने नोट किया कि निर्माण सेवा (Construction) के अन्तर्गत गलती से भुगतान सेवा यद्यपि विमुक्त था कानून के प्राधिकरण के बिना भुगतान था। केवल राशि का भुगतान इसे करनिर्धारि द्वारा भुगतान योग्य सेवा कर नहीं बनाता है।

एक बार करनिर्धारि से सेवा कर का संग्रहण की प्राधिकरण का अभाव है, विभाग को इस राशि को रखने का कोई अधिकार नहीं देता। आगे, धारा 11B का प्रावधान केवल उत्पाद शुल्क/सेवा कर की वापसी का दावा पर लागू होता है तथा कानून की प्राधिकरण के बिना अन्य राशि पर बढ़ाया नहीं जा सकता।

यद्यपि, बम्बई उच्च न्यायालय ने *Andrew Telecom India Ltd vs. CCE, Goa 2014 (34) STR 562 (Bom.)* के मामले में विपरीत मत लिया जहां पर न्यायालय ने निर्णय दिया यदि गलती से कर मानकर कर का भुगतान कर दिया वापसी दावा को केवल केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 11B के अन्तर्गत फाइल करना होगा तथा धारा के अन्तर्गत परीसीमा लागू होगी। निर्विवाद स्थिति है कि राशि का भुगतान सेवा कर के रूप में किया। आगे, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *MCI Leasing Pvt. Ltd vs. CCE Mysore 2014 (33) STR 497 (Kar.)* के मामले में भी निर्णय दिया कि धारा 11B के अन्तर्गत परीसीमा लागू होगी।

- (c) (i) नहीं, यह कहना सही नहीं है कि मूल सीमा शुल्क से विमुक्त वस्तुएं कस्टम के अतिरिक्त शुल्क से स्वतः विमुक्त होगा।

उच्च न्यायालय ने *Kaur Sarin Traders vs. Union of India 2006 (199) ELT 224 (Pat.)* के मामले में निर्णय दिया है कि जब वस्तु एक अधिसूचना के द्वारा मूल

सीमा शुल्क से विमुक्त है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कस्टम के अतिरिक्त शुल्क से भी विमुक्त है। मूल कस्टम ड्यूटी कस्टम अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत लगेगा क्योंकि दो कार्यवाही एक अन्य से स्वतंत्र है, एक शुल्क को अन्य के बिना लगाया जा सकता है।

- (ii) कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8A प्रदान करती है कि जहां पर केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि किसी वस्तु पर लगने वाला मूल सीमा शुल्क को बढ़ाना चाहिए तथा वह परिस्थिति विद्यमान है जो इसे तुरंत कार्यवाही के लिए अनिवार्य करता है, यह अधिसूचना के द्वारा जैसा यह उचित समझे इस हद तक इस प्रकार की वस्तु पर लगने वाला आयात शुल्क का आयात बढ़ाने के लिए कस्टम टैरिफ की प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकता है।

प्रश्न 6.

- (a) (i) अमेरिका में एक धारक कम्पनी जिसकी भारत में सहायक कम्पनी है निपटारा आयोग के सम्मुख आवेदन करने का इरादा रखती है।
- (ii) निपटारा आयोग, आवेदक को सुनने के पश्चात् पुनः निर्णयन के लिए केंद्रीय उत्पाद अधिकारी को वापस भेजने का इरादा रखता है। किन परिस्थिति में यह ऐसा कर सकता है? (2 + 2 = 4 अंक)

अथवा

- (i) सहायक आयुक्त एक अधिसूचना के अन्तर्गत उसको सौंपे हुए अधिकार का उपयोग करता है तथा करनिर्धारणी पीड़ित है तथा एक याचिका के जरिये उसको चुनौती देता है। स्पष्ट करें क्या इस तरह की गयी याचिका सफल होगी?
- (ii) आयुक्त (अपील) ने न्याय निर्णयन प्राधिकरण अथवा उक्त प्राधिकरण की तरफ से प्राधिकृत एक अधिकारी को उचित अवसर प्रदान किये बिना करनिर्धारणी से अतिरिक्त साक्ष्य लिया। कानून के अनुसार क्या अवसर प्रदान किया जा सकता है?
- (b) (i) Sudarsan Ltd. नवम्बर 2014 के माह के लिए ₹ 8,00,000 का सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी है। यद्यपि इसने 18.7.2015 पर सेवा कर को जमा किया। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अन्तर्गत Sudarsan Ltd. द्वारा भुगतान योग्य ब्याज की राशि की गणना करें यह मानकर—
- (1) गत वित्तीय वर्ष के दौरान इसके द्वारा प्रदान कर योग्य सेवा का मूल्य ₹ 52 लाख था।
- (2) इसके द्वारा गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान कर योग्य सेवा का मूल्य ₹ 85 लाख था। (4 अंक)
- (ii) कारण सहित संक्षेप में वर्णित करें कि क्या निम्न सौदों को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(E) के अन्तर्गत घोषित सेवा के रूप में कर योग्यता के लिए इस प्रकार की वस्तु के उपयोग का अधिकार के अंतरण के बिना अंतरण लिप्त है।

- (1) प्रतिमाह/माइलेज आधार पर प्रभार के भुगतान पर चालक के साथ एक कम्पनी को एक व्यक्ति द्वारा एक कार को किराया पर दिया।
- (2) बैंक लॉकर्स का किराया। (2 + 2 = 4 अंक)
- (c) X Ltd. ने अधिसूचित कस्टम स्टेशन के नजदीक एक वेयर हाउस को निर्मित किया। यह आयातित वस्तु का निपटारा के लिए लाइसेंस चाहती है। क्या X Ltd. आयातित वस्तु को जमा करने के लिए वेयर हाउस के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? कारण सहित उत्तर दें।
- साथ में, यदि एक बार लाइसेंस को X Ltd. को प्रदान किया, क्या इसे कर अधिसूचित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वतः नवीनीकरण किया जा सकता है? (4 अंक)

उत्तर

- (a) (i) केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 31(a) प्रदान करती है कि निपटारा आवेदन को एक करनिर्धारि द्वारा किया जा सकता है जो केंद्रीय उत्पाद अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए दायी है तथा उत्पाद योग्य वस्तु का कोई उत्पादक/निर्माता अथवा निजी वेयरहाउस जिसमें उत्पाद योग्य वस्तु को स्टोर किया का पंजीकृत व्यक्ति सम्मिलित है।
- क्योंकि USA में एक धारक कम्पनी केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत करनिर्धारि नहीं हो सकता, यह निपटारा का आवेदन नहीं कर सकता। यद्यपि इसकी भारत में सहायक कम्पनी निपटारा के लिए आवेदन कर सकता है यदि यह करनिर्धारि की परिभाषा के अन्तर्गत आता है जैसे ऊपर चर्चा की है।
- (ii) निपटारा आयोग पुनः निर्णयन के लिए केंद्रीय उत्पाद अधिकारी को वापस मामला को भेज सकता है। यह किया जा सकता है यदि निपटारा आयोग की राय है कि कोई व्यक्ति ने जिसने निपटारा के लिए आवेदन किया इसके सम्मुख कार्यवाही में निपटारा आयोग के साथ सहयोग नहीं किया।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *Vinay Wire & Polyproducts P Ltd vs. DG 2014 307 ELT 438 (All)* के मामले में निर्णय दिया कि निपटारा आयोग मामले को वापस भेज सकता है चाहे करनिर्धारि ने आयोग के साथ सहयोग किया हो।

वैकल्पिक उत्तर (a)

- (i) केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 37A केंद्रीय सरकार को अधिसूचना को जारी करने के द्वारा किसी प्राधिकरण (बोर्ड से सहायक आयुक्त तक तथा साथ में केंद्रीय उत्पाद का प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी) को अपने उच्च प्राधिकरण के अधिकार के उपयोग करने के लिए जैसा उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा डेलीगेटिड किया जा सकता है को सशक्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। केंद्रीय सरकार के पास निर्दिष्ट प्राधिकरण को अधिकार डेलीकेट करने के लिए असीमित अधिकार रखता है। इसलिए याचिका सफल होगी।
- (ii) केंद्रीय उत्पाद (अपील) नियम, 2001 की नियम 5(3) के अनुसार, आयुक्त (अपील) को उक्त प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/निर्णयन अधिकारी को निम्न अवसर प्रदान करना चाहिए :

- (a) अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई साक्ष्य अथवा प्रपत्र अथवा किसी गवाह का परीक्षण करना है।
- (b) अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के खंडन में किसी साक्ष्य अथवा गवाह को प्रस्तुत करना।
- (b) (i) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अन्तर्गत भुगतान योग्य ब्याज की गणना

Sudarshan Ltd. (एक कम्पनी) के मामले में नवम्बर 2014 के लिए सेवा कर का इ-भुगतान के लिए देय तिथि 06.12.2014 है।

- (1) यदि गत वित्तीय वर्ष में कर योग्य सेवा का मूल्य ₹ 52 लाख है (अर्थात् ₹ 60 लाख से कम हैं), वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 जिसे अधिसूचना संख्या 12/2014 ST दिनांक 11.07.2014 को पढ़ा जाये के अन्तर्गत भुगतान योग्य ब्याज की गणना निम्न है :

अवधि	ब्याज की दर	देरी	ब्याज (₹)
07.12.2014 से 06.06.2015	15%*	6 माह	$8,00,000 \times 15\% \times 6/12$ = 60,000
07.06.2015 से 18.07.2015	21%*	42 दिवस	$8,00,000 \times 21\% \times 42/365$ = 19,332 (राउंड ऑफ)
कुल ब्याज (राउंड ऑफ)			79,332

* ब्याज की दर को 3% प्रतिवर्ष से कम कर दिया जब सेवा का टर्नओवर गत वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 60 लाख से अधिक नहीं है।

- (2) यदि गत वित्तीय वर्ष के दौरान कर योग्य सेवा का मूल्य ₹ 85 लाख था (अर्थात् ₹ 60 लाख से अधिक), भुगतान योग्य ब्याज की गणना निम्न है :

अवधि	ब्याज की दर	देरी	ब्याज (₹)
07.12.2014 से 06.06.2015	18%	6 माह	$8,00,000 \times 18\% \times 6/12$ = 72,000
07.06.2015 से 18.07.2015	24%	42 दिवस	$8,00,000 \times 24\% \times 42/365$ = 22,093 (राउंड ऑफ)
कुल ब्याज (राउंड ऑफ)			94,093

- (ii) (1) वस्तु के उपयोग के अधिकार को इस मामले में अंतरित नहीं किया क्योंकि कार स्वामी कार से संबंधित अनुमति तथा लाइसेंस को रखता है। इसलिए, ग्रहण तथा प्रभावी नियंत्रण स्वामी के साथ रहता है। इसलिए सेवा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा

66E(f) के अन्तर्गत घोषित सेवा है क्योंकि इसमें इस प्रकार की वस्तु के उपयोग के अधिकार के अंतरण के बिना किराया के जरिये वस्तु का अंतरण लिप्त है।

- (2) बैंक लॉकर्स का किराया देना में उपयोग का अधिकार लिप्त नहीं है क्योंकि लॉकर्स के ग्रहण को किरायाकर्ता को अंतरित नहीं किया जाता चाहे लॉकर की वस्तु किराया पर देने वाले ग्रहण में है। इसलिए उक्त सौदों को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66E(f) के अन्तर्गत घोषित सेवा के रूप में कर लगाया जायेगा।
- (c) कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 58 प्रदान करती है कि सहायक/उपायुक्त कस्टम किसी वेयर हाउसिंग स्टेशन पर निजी वेयर हाउस को लाइसेंस दे सकता है जिसमें निम्न को जब्त किया जा सकता है:
- (a) लाइसेंस के द्वारा अथवा की तरफ से आयातित शुल्क योग्य वस्तु।
- (b) कोई अन्य आयातित वस्तु जिसके संबंध में सार्वजनिक वेयर हाउसिंग में जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

क्योंकि X Ltd. ने वेयर हाउसिंग स्टेशन पर वेयर हाउस को निर्मित किया यह आयातित वस्तु को जमा करने के लिए इसके वेयर हाउसिंग का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।¹⁰

आगे, X Ltd. को प्रदान लाइसेंस को स्वतः नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

प्रश्न 7.

- (a) (i) उत्पाद अंकेक्षण, 2002 की प्रक्रिया के अन्तर्गत अंकेक्षण आपत्ति तथा अंकेक्षण पैरा पर लघु टिप्पणी लिखें।
- (ii) वेयरहाउसिंग की छूट के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, को स्पष्ट करें। (2 + 2 = 4 अंक)
- (b) (i) संक्षेप में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87(c) के अन्तर्गत पूर्ववर्ती से क्रय उत्तरवर्ती की सम्पत्ति में पूर्ववर्ती से देय सेवा कर की वसूली से संबंधित संशोधन की संक्षेप में चर्चा करें। (2 अंक)
- (ii) एक प्रस्तावित सेवा के संबंध में सेवा कर के भुगतान के दायित्व के संबंध में कानून अथवा तथ्य का प्रश्न के संबंध में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96A के अन्तर्गत अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है। (2 + 2 = 4 अंक)
- (c) (i) (1) आप विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत 'माना निर्यात' से आप क्या समझते हैं?
- (2) श्री A ने भारत में वस्तु को निर्मित किया तथा Z Export Ltd. (निर्यात संवर्द्धन पूँजी वस्तु योजना {EPC GS} के अन्तर्गत लाइसेंस का धारक) को भारत के अंदर पूँजीगत वस्तु की आपूर्ति के लिए ठेका को प्राप्त किया। कुछ परिचालात्मक समस्या के कारण श्री A ने Z Export Ltd. से उपयुक्त प्राधिकरण के साथ श्री M को पूँजीगत वस्तु की आपूर्ति के लिए उपठेका

¹⁰ Customs station has been presumed to be a warehousing station where at such warehousing station has been presumed to be constructed.

दिया तथा वस्तु की आपूर्ति को आरंभ करने से पूर्व आपूर्ति की मुख्य ठेके में श्री M का नाम सम्मिलित किया। क्या श्री M श्री A को दी गयी आपूर्ति के लिए माना निर्यात का लाभ का दावा कर सकता है। तर्क के साथ स्पष्ट करें। (4 अंक)

- (ii) Sham Lal Advertisers ने प्रदान सेवा पर अपने कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए सेवा कर कानून के अन्तर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण को प्राप्त किया। इसके कारण इसने विभिन्न लोकेशन से सेवा कर क्रेडिट को प्राप्त किया जहां पर सेवा को प्रदान किया जा रहा है। सेवा कर अधिकारी विभिन्न लोकेशन से प्राप्त क्रेडिट का खंडन कर रहा है जबकि Sham Lal की दलील है कि वह केंद्रीकृत पंजीकरण के कारण उसके कर के लिए पात्र है। Sham Lal की कार्यवाही पर टिप्पणी करें।

(4 अंक)

उत्तर

- (a) (i) अंकेक्षण उद्देश्य तथा अंकेक्षण पैरा : उत्पाद अंकेक्षण करते हुए यदि अंकेक्षक शुल्क का कम भुगतान अथवा केंद्रीय उत्पाद प्रक्रिया का गैर अवलोकन का उदाहरण पाता है, उसे करनिर्धारि के मुद्दे की चर्चा करनी होगी। करनिर्धारि द्वारा प्रदान स्पष्टीकरण के पश्चात् यदि अंकेक्षक संतुष्ट है कि इस प्रकार की गैर अनुपालन उत्पन्न हुई वह इसे "प्रारूप अंकेक्षण रिपोर्ट का अंकेक्षण" आपत्ति अथवा "अंकेक्षण पैरा" में रिकॉर्ड करता है।

- (ii) वेयर हाउस का प्रभारी अधिकारी निर्यातक से लिखित प्रार्थना पर भौतिक वेयर हाउसिंग से छूट की अनुमति दे सकता है बशर्ते रिकॉर्ड कीपिंग से संबंधित सभी औपचारिकता को वेयर हाउसिंग रजिस्टर में उपयुक्त रिकॉर्ड के साथ सामान्य तरीके में पूर्ण किया है "वेयर हाउसिंग छूट"

इस अनुमति को अपवादपूर्वक मामलों में दिया जाता है जहां पर देरी फैक्टरी से देरी आपूर्ति के कारण अथवा लम्बा मार्गस्थ अवधि अथवा तुरंत निर्यात की आवश्यकता अथवा किसी अन्य वास्तविक कारण है बशर्ते समस्त प्रेषण को मूल पैकिंग में निर्यात के लिए प्रविष्ट किया। प्रदान अनुमति के मामले को जल्द से जल्द वेयर हाउस के प्रभारी अधीक्षक को रिपोर्टिड करने की आवश्यकता है।

नोट : प्रश्न में दिया "वेयर हाउसिंग की छूट" के स्थान पर 'आवश्यकता में भौतिक वेयर हाउसिंग की छूट' के रूप में पढ़ा जाये।

- (b) (i) 06.08.2014 के प्रभाव से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के जरिये वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87(c) के एक उपबंध को डाला है जो रखता है कि जहां पर पूर्वाधिकारी

- समस्त अथवा भाग में अपने व्यापार/व्यवसाय का अंतरण/निपटारा करता है अथवा

- उसके स्वामित्व में किसी बदलाव को प्रभावित करना जिसके परिणाम में वह इस प्रकार के व्यापार अथवा पेशे में उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त किया है तब उत्तराधिकार की कस्टडी अथवा गृहण को भी सलंगन किया जा सकता है तथा इस प्रकार के अंतरण/बदलाव का निपटारा के समय इस प्रकार के पूर्वाधिकारी से देय राशि को वसूलने के लिए बेचा जा सकता है (केंद्रीय उत्पाद से लिखित अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात)।
- (ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96A(b) के अनुसार निम्न व्यक्ति अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है :
1. (a) एक अनिवासी/निवासी के साथ सहयोग में भारत में संयुक्त पराक्रम की स्थापना वाला एक अनिवासी; अथवा
 - (b) एक अनिवासी के साथ सहयोग में भारत में संयुक्त पराक्रम की स्थापना करने वाला एक निवासी; अथवा
 - (c) एक पूर्ण स्वामित्व सहायक भारतीय कम्पनी जिसकी धारक कम्पनी एक विदेशी कम्पनी है।
2. भारत में एक संयुक्त पराक्रम; अथवा
3. व्यक्तियों की श्रेणी अथवा वर्ग के अंदर आने वाला एक निवासी जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो। केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां, निवासी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां, निवासी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी तथा निवासी फर्म को इस संबंध में अधिसूचित किया। इस उद्देश्य के लिए एक फर्म में सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) सम्मिलित है LLP जिसकी कोई कम्पनी इसका साझेदार नहीं है, एकल स्वामित्व तथा एक व्यक्ति कम्पनी।
- (c) (i) (1) माना निर्यात उन सौदों (Deemed Exports) को संदर्भित करता है जहां पर आपूर्ति वस्तु देश नहीं छोड़ती तथा इस प्रकार के भुगतान की आपूर्ति या तो भारतीय रुपये में प्राप्त किया जाता है अथवा मुक्त विदेशी विनिमय में। माना निर्यात का उद्देश्य कुछ निर्दिष्ट मामलों जैसे समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है में घरेलू निर्माता को समान अवसर प्रदान करना है।
- माना निर्यात वृहतर रूप से तीन क्षेत्रों को कवर करता है:
- a. घरेलू इकाइयों की आपूर्ति जो आवश्यकता को शुल्क मुक्त अथवा शुल्क की कम दर पर आयात कर सकता है।
 - b. परियोजना उद्देश्य को आपूर्ति जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बोली लिप्त है।
 - c. राष्ट्रीय महत्व का अधोसंरचना परियोजना की आपूर्ति।

- (2) EPCG प्राधिकरण के विरुद्ध एक निर्माता द्वारा पूँजीगत वस्तु की आपूर्ति को माना निर्यात समझा जाता है।

दिये गये मामले में, श्री M का नाम वस्तु की आपूर्ति के आरंभ होने से पूर्व आपूर्ति की मुख्य सविदा में डाला है। श्री M इस मान्यता पर माना निर्यात का दावा कर सकता है कि उसने घरेलू रूप से पूँजीगत वस्तु का निर्माण किया तथा एक रद्द पत्र/अग्रिम छोड़ने के आदेश के विरुद्ध Exports की आपूर्ति की।

- (ii) शाम लाल की कार्यवाही कानून में सही है। चाहे इनपुट सेवा के लिए बीजक को विभिन्न लोकेशन के नाम में जारी किया जो सेवा कर कानून के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, इस प्रकार की इनपुट सेवा पर सेवा कर भुगतान का क्रेडिट का खंडन नहीं किया जा सकता क्योंकि शाम लाल ने केंद्रीकृत पंजीकरण को प्राप्त किया।

नोट—मुकदमे की व्याख्या पर आधारित प्रश्न का उत्तर विशेष कानूनी निर्णय पर आधारित है जबकि विचाराधीन मुद्दे तथा मामला की तथा प्रश्न में दिये गये तथ्य तथा मुद्दों की तरह के हैं। यद्यपि अन्य मामला जहां पर तथ्य तथा मुद्दे एक जैसे हैं के आधार पर इन प्रश्नों के कुछ उत्तर देना भी संभव हो सकता है।